

3252

प्रेषक,

विशेष कार्य पदाधिकारी
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी संयुक्त आयुक्त-राह सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिहार।
सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार।
सभी मोटरवाहन निरीक्षक, बिहार।

पटना, दिनांक

21/6/15

विषय:- M/s- Mahindra & Mahindra.Ltd. के उत्पाद मॉडल का निबंधन के संबंध में।
महाशय,

E-mail

निर्देशानुसार उपरोक्त विषयक M/s-Mahindra & Mahindra.Ltd के द्वारा प्रस्तुत उनके उत्पाद मॉडलों के संबंध में केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली-1989 के नियम-126 के तहत अधिकृत जॉइ एजेंसी VRDE, Ahmednagar एवं ICAT, Haryana द्वारा प्रदत्त टार्षिप एपुनल जमान पत्र एवं अन्य कमजातों की अभिप्राणित प्रति के आधार पर निम्न उत्पाद मॉडलों का बिहार राज्य में विक्रय के प्रमाणार्थ निबंधन की रक्षाकृति प्रदान की जाती है :-

Sl. No.	Base Model	Variants	T.A.Certificate/ Date	Types of Vehicle
1	Mahindra Jeeto S6-16 BSIV	Mahindra Jeeto L6-16 BSIV	VAKN 0010/08.04.2015	Light Goods Vehicle M1
2	Mahindra Jeeto Minivan LXD D+4	(i) Mahindra Jeeto Minivan LXD D+5 (ii) Mahindra Jeeto Minivan LXD D+3	CAMN 00/9 R01/20.04.2017	Light Passenger Vehicle M1 (BSIV)

- निबंधन के पूर्व केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली-1989 के नियम-126 एवं 127 के अंतर्गत प्रपत्र-22 में प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा तथा नियमावली के नियम-93 के प्रावधानों को कड़ाई से पालन करना होगा। एतद नियमावली के नियम 33 से 46 का अनुपालन करेंगे।
- वाहन के प्रोटोटाइप जिस प्रकार प्रमाणित किया गया है उसका ही सख्त रूप से उसी प्रकार के वाहन का निर्माण।
- इसके साथ रोड वर्थीनेस प्रमाण पत्र मोटर वाहन नियमावली के नियम 93 के अनुपालन के प्रतिबद्धता जॉइ प्रतीवेदन/रूप में निर्देशन वाहन डीलर द्वारा संलग्न किया जाएगा।
- किसी भी परिस्थिति में किसी कारणों के पूर्व प्रोड्यूसर का निबंधन निर्यात अदेश निर्गत होने की तिथि के पूर्व नहीं किया जायेगा। किन्तु आदेश के यदि निबंधन किया गया है तो उसकी सम्पूर्ण जवाबदेही आपकी होगी।
- जिला परिवहन पदाधिकारी वाहन विक्रेता के पंजागों की निर्यातित जॉइ करते हुए बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम-1994 की धारा-6 के अर्धीन करों की नसूली सुनिश्चित करेंगे तथा रोड टैक्स का अधतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे।
- जिला परिवहन पदाधिकारी वाहन के निबंधन के समय यह सुनिश्चित करेंगे कि डीलर का ट्रेड प्रमाण पत्र वेत है एवं उनके द्वारा बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 (यथा संशोधित) की धारा-6 के अनुरूप प्रत्येक वाहन के ट्रेड टैक्स का अधतन भुगतान किया गया है।
- बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा 6 रोडयूलना के अनुरूप प्रत्येक वाहन के लिए निधारित कर की दर से निबंधन के समय भुगतान सुनिश्चित करेंगे।
- संबंधित Model का विक्री मूल्य कंप्यूटर में दर्ज करेंगे।
- निर्माता कंपनी उच्च मॉडलों/वैरिअट के पदों में CO2P छ. मात्र का डीलर इस कमरालन को उपलब्ध करारोपे।
- माननीय सर्वोच्च उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किमी. नसूली/सदरेश से यह प्रमाणित किया।

विश्वासार्थता

(Signature)

विशेष कार्य पदाधिकारी,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

प्रेषक,

विशेष कार्य पदाधिकारी
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिहार।
सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार।
सभी मोटरवाहन निरीक्षक, बिहार।

पटना, दिनांक

विषय:- M/s- Mahindra & Mahindra.Ltd. के उत्पाद मॉडल का निबंधन के संबंध में ।
महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक M/s-Mahindra & Mahindra.Ltd के द्वारा प्रस्तुत उनके उत्पाद मॉडलों के संबंध में केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के नियम 126 के तहत प्राधिकृत जाँच एजेन्सी VRDE, Ahmednagar एवं ICAT, Haryana द्वारा प्रदत्त टाईप एप्रुवल प्रमाण-पत्र एवं अन्य कागजातों की अभिप्रमाणित प्रति के आधार पर निम्न उत्पाद मॉडलों का बिहार राज्य में विक्रय के प्रयोजनार्थ निबंधन की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

Sl. No.	Base Model	Variants	T.A.Certificate/ Date	Types of Vehicle
1	Mahindra Jeeto S6- 16 BSIV	Mahindra Jeeto L6-16 BSIV	VAKN 0010/ 08.04.2015	Light Goods Vehicle-N1
2	Mahindra Jeeto Minivan LXD D+4	(i) Mahindra Jeeto Minivan LXD D+5 (ii) Mahindra Jeeto Minivan LXD D+3	CAMN 0079 R01/ 20.04.2017	Light Passenger Vehicle-M1 (BSIV)

- निबंधन के पूर्व केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली-1989 के नियम-126 एवं 127 के अन्तर्गत पत्र-22 में प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा तथा नियमावली के नियम-93 के प्रावधानों को कड़ाई से पालन करना होगा। एतद नियमावली के नियम 33 से 46 का अनुपालन करेंगे।
- वाहन के प्रोटोटाइप जिस प्रकार प्रमाणित किया गया है, निबंधन भी उसी प्रकार के वाहन का होगा।
- इसके साथ रोड वर्थीनेस प्रमाण पत्र मोटर वाहन नियमावली के नियम के अनुपालन के प्रतिवेदन/जाँच प्रतिवेदन/मांग निदेशन वाहन डीलर द्वारा सलग्न किया जायेगा।
- किसी भी परिस्थिति में किसी कम्पनी के नये प्रोडक्ट का निबंधन विभागीय आदेश निर्गत होने की तिथि के पूर्व नहीं किया जायेगा। बिना आदेश के यदि निबंधन किया जाता है तो इसकी सम्पूर्ण जवाबदेही आपकी होगी।
- जिला परिवहन पदाधिकारी वाहन विक्रेता के पंजिया की नियमित जाँच करते हुए बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम-1994 की धारा-6 के अधीन करों की कसूती सुनिश्चित करेंगे तथा ट्रेड टैक्स का अद्यतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे।
- जिला परिवहन पदाधिकारी वाहन के निबंधन के समय यह सुनिश्चित करेंगे कि डीलर का ट्रेड प्रमाण पत्र वैध है एवं उनके द्वारा बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 (यथा संशोधित) की धारा-6 के अनुरूप प्रत्येक वाहन के ट्रेड टैक्स का अद्यतन भुगतान किया गया है।
- बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा 6 रोडयूल-III के अनुरूप प्रत्येक वाहन के लिए निर्धारित कर की दर से निबंधन के समय भुगतान सुनिश्चित करेंगे।
- संबंधित Model का विक्री मूल्य कम्प्यूटर में दर्ज करें।
- निर्माता कंपनी उक्त मॉडलों/वैरियंट के संबंध में (TOP) 3 मास के अन्दर इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगे।
- माननीय सर्वोच्च/उच्च न्यायालय द्वारा पंजिया विधी न्यायेक आदेश से यह प्रभावित होगा।

विश्वासभाजन

ह०/-

विशेष कार्य पदाधिकारी,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- Authorised Signatory:- For Mahindra & Mahindra.Ltd., Alankar Business Center, East Boring Canal Road, Patna- 1 को सूचनाएं प्रेषित।

ह०/-

विशेष कार्य पदाधिकारी,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि - State Informatic Officer, NIC, Patna में Vahan Software में Master Box में प्रविष्टि करने हेतु / I.T. Manager, परिवहन विभाग को विभागीय आदेश पत्र उपरोक्त करने हेतु प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना